अधिसूचना　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015

सं0 7/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

सा0का0नि0...........(अ)- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 9 के उपनियम (1) और उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 35/2001-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड (3) उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं. 464(अ), तारीख 26 जून, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

1. उक्त अधिसूचना के खंड (1) में, "उपाबंध 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में" शब्दों और अंक के स्थान पर, "वेबसाइट www.aces.gov.in में रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंधित प्ररूप में" शब्द रखे जाएंगे ।

2. उक्त अधिसूचना में, खंड (3) से खंड (7) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(3) **आवेदन का आनलाइन फाइल किया जाना :** रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या रजिस्ट्रीकरण समाप्त करने के लिए आवेदन या रजिस्ट्रीकरण आवेदन में संशोधन के लिए कोई आवेदन केवल वेबसाइट www.aces.gov.in में दिए गए प्ररूपों में ही फाइल किया जाएगा ।

(4) **पैन आधारित रजिस्ट्रीकरण** : (i) आवेदक द्वारा आवेदन प्ररूप में विनिर्दिष्ट स्तंभ में स्वत्वधारी या विधिक अस्तित्व का स्थायी लेखा संख्यांक को उत्कथित करना आज्ञापक है । सरकारी विभागों को उनके आनलाइन आवेदनों में पैन को उत्कथित करने की अपेक्षा से छूट है । सरकारी विभागों से भिन्न आवेदकों को पैन की अनुपस्थिति में रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त नहीं किया जाएगा ।

(ii) सरकारी विभागों के सिवाय, विद्यमान अस्थायी रजिस्ट्रीकृत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर अस्थायी रजिस्ट्रीकरण को पैन आधारित रजिस्ट्रीकरण में संपरिवर्तित करने के लिए आवेदन करेंगे, जिसमें असफल रहने पर अस्थायी रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जाएगा :

परन्तु यदि आवेदक तीन मास की अवधि से परे, समय विस्तार के लिए कोई आवेदन करता है तो आवेदक द्वारा दिए गए कारणों के आधार पर अधिकारिता

रखने वाले प्राधिकारी आवेदक को वैयक्तिक रूप से सुने जाने पर पैन आधारित रजिस्ट्रीकरण में अंतरण के लिए एक मास का और समय प्रदान करेगा :

परन्तु यह और कि यदि कोई निर्धारिती तीन मास की अवधि से परे कोई आवेदन करता है तो उसे अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा और तत्पश्चात् अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने या उसको पुनःप्रवर्तित करने के संबंध में कोई आदेश पारित किया जाएगा ।

(5)(i) **आवेदक द्वारा ई-मेल और मोबाइल सं0 का उत्कथित किया जाना** : आवेदक विभाग के साथ संपर्क करने के लिए आवेदन के अपेक्षित स्तंभ में अपना ई-मेल पता और मोबाइल सं0 उत्कथित करेगा । विद्यमान रजिस्ट्रीकर्ता जिन्होंने ई-मेल और मोबाइल सं0 के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की है वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर वेबसाइट www.aces.gov.in में दिए गए संशोधन आवेदन को प्रस्तुत करेगा ।

(ii) **कारबार संव्यवहार सं0** : अन्य सरकारी विभागों या अभिकरणों से अभिप्राप्त कारबार संव्यवहार सं0 जैसे सीमाशुल्क रजिस्ट्रीकरण सं0 (बीआईएन सं0), आयात-निर्यात कोट (आईईसी) सं0, राज्य बिक्री कर/(वैट) सं0, केन्द्रीय बिक्री कर सं0 कंपनी इंडेक्स सं0 (सीआईएन), सेवाकर रजिस्ट्रीकरण सं0 जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क रजिस्ट्रीकरण आवेदन फाइल करने से पूर्व जारी की गई हैं, को प्ररूप में भरा जाएगा और पश्चात्वर्ती रूप से अभिप्राप्त संख्यांक के लिए आवेदन को संशोधित किया जाएगा । विद्यमान रजिस्ट्रीकृत जिन्होंने कारबार संव्यवहार संख्याकों के संबंध में कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की है, वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर वेबसाइट www.aces.gov.in में दिए गए अनुसार संशोधन आवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

(6) **रजिस्ट्रीकरण संख्याक और प्रमाणपत्र** : प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा परिसरों और दस्तावेजों के कार्योत्तर सत्यापन के लंबन के दौरान, रजिस्ट्रीकरण के आवेदन का अनुमोदन उपायुक्त या सहायक उपायुक्त द्वारा सम्यक् रूप से पूर्ण आनलाइन आवेदन प्ररूप की प्राप्ति के दो दिन के भीतर किया जाएगा । रजिस्ट्रीकरण संख्याक वाला रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र आनलाइन जारी किया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की मुद्रित प्रति जिसे www.aces.gov.in वेबसाइट के माध्यम से जारी किया गया है, रजिस्ट्रीकरण का पर्याप्त सबूत होगी तथा उक्त

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर की अपेक्षा नहीं होगी ।

(7) **दस्तावेजों को प्रस्तुत करना :** आवेदक परिसरों के सत्यापन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतियां देगा :

(i) कारखाना परिसरों की योजना;

(ii) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या विधिक अस्तित्व के पैन कार्ड की प्रति;

(iii) आवेदक का चित्र और पहचान का सबूत;

(iv) रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले परिसरों के कब्जे को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज;

(v) बैंक खाता के ब्यौरे;

(vi) संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेद और निदेशकों की सूची ; और

(vii) तृतीय पक्षकार द्वारा आवेदन फाइल करने के लिए निदेशक बोर्ड या भागीदारों या स्वत्वधारी को प्राधिकरण ।

(8) **भौतिक सत्यापन:** (i) प्राधिकृत अधिकारी आनलाइन के माध्यम से आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर भौतिक रूप से परिसरों का सत्यापन करेगा । प्राधिकृत अधिकारी को त्रुटि के तुरन्त निराकरण के लिए जहां सत्यापन प्रक्रिया के दौरान ध्यान में आई त्रुटियों या किसी स्पष्टीकरण की अपेक्षा है, प्राधिकृत अधिकारी को तत्काल जानकारी की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर त्रुटियों के सुधार के लिए निर्धारिती को जानकारी देगा, जिसमें असफल रहने पर रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जाएगा । निर्धारिती को प्रस्तावित रद्दकरण के विरुद्ध अपने मामलों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा और यदि यह पाया जाता है कि निर्धारिती द्वारा दिए गए कारण युक्तियुक्त है तो प्राधिकृत अधिकारी परिसर के रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा ।

(ii) परिसरों के भौतिक सत्यापन पर, यदि वह विद्यमान नहीं पाया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जाएगा । निर्धारिती को प्रस्तावित रद्दकरण के विरुद्ध अपना मामले का अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा और यदि यह पाया जाता है कि निर्धारिती द्वारा दिए गए कारण युक्तियुक्त है तो प्राधिकृत अधिकारी परिसरों के पूर्ण और सही पते को अभिलिखित करते हुए परिसर के रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा ।

(9) **कारबार का अन्तरण या कारखाने का अर्जन** : जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने कारबार को अन्य व्यक्ति को अन्तरित कर देता है, अन्तरिती स्वयं को नए सिरे से रजिस्ट्रीकृत करेगा, जहां किसी आवेदक ने किसी बैंक या वित्तीय संस्था से किसी पुराने कारखाने का अर्जन किया है वह स्वयं को नए सिरे से रजिस्ट्रीकृत करेगा ।

(10) गठन में परिवर्तन : जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कोई फर्म या कोई कंपनी या व्यक्तियों का संगम है, तब फर्म के गठन में किसी परिवर्तन की दशा में, जिससे पैन में परिवर्तन होता है तो वह स्वयं को नए सिरे से रजिस्ट्रीकृत करेगा । कारबार के गठन में परिवर्तन के अन्य मामलों में जहां पैन में कोई परिवर्तन नहीं है तो उसकी संसूचना ऐसे परिवर्तन से तीस दिनों के भीतर अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को वेबसाइट www.aces.gov.in में किए गए रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरों को संशोधन के द्वारा आनलाइन करने को संसूचित किया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकरण संख्याक में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

(11) **रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति :** प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो उस कारबार को करने से विरत हो जाता है, जिसके लिए वह रजिस्ट्रीकृत है वह विनिर्दिष्ट प्ररूप में वेबसाइट www.aces.gov.in पर आनलाइन आवेदन करके स्वयं का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करेगा । जहां निर्धारिती से किन्हीं शोध्यों की बसूली लंबित नहीं है तो रजिस्ट्रीकरण समाप्त करने के लिए आवेदन को आनलाइन घोषणा फाइल करने की तारीख से तीस दिन के भीतर अनुमोदित किया जाएगा तथा तदनुसार निर्धारिती को सूचित किया जाएगा ।

(12) **रजिस्टीरकरण को रद्द करना** : नियम 9 के अधीन अनुदत्त किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को निर्धारिती को उपायुक्त या सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में प्रस्तावित रद्दकरण के विरुद्ध अपने मामले के संबंध में अभ्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करके रद्द किया जा सकेगा, अर्थात् :--

(i) जहां सत्यापन पर, रजिस्ट्रीकृत होने को प्रस्तावित परिसर विद्यमान नहीं पाया जाता है ;

(ii) जब निर्धारिती परिसरों के सत्यापन के दौरान ध्यान में आई त्रुटियों के निराकरण के लिए अनुरोध पर सूचना दिए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर प्रत्युत्तर नहीं देता है ;

(iii) जहां आवेदन प्ररूप में सारवान् गलत घोषणा है ; और

(v) जहां कारखाना बन्द हो चुका है और निर्धारिती के विरुद्ध कोई शोध्य लंबित नहीं है ।"।

3. यह अधिसूचना तारीख 1-3-2015 से प्रभावी होगी ।

(फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू)

(प्रमोद कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 35/2001- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 26 जून, 2001 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 464(अ) तारीख 26 जून, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 10/2014-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 28 फरवरी, 2014 द्वारा, जो सा.का.नि. सं. 136(अ) तारीख 28 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 6 यह उपबंध करती है कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क मालों का विनिर्माता विहित रीति में समुचित अधिकारी के पास स्वयं को रजिस्टर करेगा । केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 2002 का नियम 9 ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए और उपबंध करता है तथा नियम 9 का उपनियम (3) बोर्ड को ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए शर्तें, सुरक्षोपाय और प्रक्रिया विहित करने के लिए सशक्त करता है । नियम 9 के अधीन शक्तियों के प्रयोग में बोर्ड ने अधिसूचना सं0 35/2001 केउ (एनटी) तारीख 26-6-2001 रजिस्ट्रीकरण के लिए विस्तृत प्रक्रिया विहित करते हुए जारी की थी । समय-समय पर इस अधिसूचना को संशोधित किया गया है, अंतिम संशोधन 43/2008-केउ (एनटी) तारीख 6-10-2008 है । यह अधिसूचना अब अधिसूचना सं0 35/2001 केउ (एनटी) तारीख 26-6-2001 को निम्नलिखित द्वारा और संशोधित करने के लिए है—

क) मुख्य अधिसूचना के खंड 1 में, "उपाबंध 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में" शब्दों और अंक के स्थान पर "वेबसाइट www.aces.gov.in में रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंधित प्ररूप में" शब्द रख कर,

ख) मुख्य अधिसूचना में 3 से खंड 7 के स्थान पर खंड 3 से खंड 12 को रख कर ।